थाना डिडौली जनपद अमरोहा

प्रेस नोट थाना डिडौली जनपद अमरोहा दि0 06.08.2025

****

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2025 को वादी अब्दुल हक पुत्र अनवर अली नि0 ग्राम चौधरपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा द्वारा थाना डिडौली पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमे उसके द्वारा बताया गया कि उसका भतीजा इन्जमामूल हक पुत्र शहीदुल हक नि0 उपरोक्त बिना बताये घर से कही चला गया जिसको काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नही चला है वादी अब्दुलहक की तहरीर के आधार पर गुमशुदा इन्जमामूल हक के सम्बन्ध मे तत्काल थाना डिडौली पर गुमशुदगी दर्ज की गयी व जांच उ0नि0 श्री सुधीर कुमार तोमर के सुपुर्द की गयी थी। बाद मे परिजनो द्वारा बताया गया कि इन्जमामूल हक की रिहाई के लिये अवैध धन की मांग की जा रही है इसी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना हाजा से उ0नि0 श्री सुधीर कुमार तोमर मय हमराही को गुमशुदा इन्जमामूल हक की तलाश रवाना होकर गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर व दिल्ली आदि स्थानो पर तलाश करते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो गुमशुदा की तलाश के दौरान गुमशदा इन्जमामूल हक उपरोक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घुमता मिला जिसे नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर थाने आया थाने पर आकर गुमशुदा के परिवारी जनो के समक्ष गुमशुदा से विस्तृत पूछताछ की गयी तो पूछताछ के दौरान गुमशुदा इन्जमामूल हक उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि में आन लाइन गैम खेलने का आदी हो गया हूँ मैने अपने गांव को नईम निवासी ग्राम चौधरपुर से 60 हजार रूपये उधार लिये थे जिन्हे मैं आन लाइन गैम के दौरान हार गया था नईम द्वारा मुझसे उधार के पैसे की मांग की जा रही थी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नही थी में परिवार के डर के कारण दिनांक 03.08.2025 को बिना बताये घर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चला गया था वहाँ पर मैने जाकर घर वालो से अपने अपहरण की गलत सूचना देकर खुद ही दो लाख रूपये की मांग की गयी थी साहब पैसे की जरूरत होने के कारण मेरे द्वारा गलत सूचना दी गयी है जिसके लिए में क्षमा चाहता हूँ आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री अमित कुमार आनन्द के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल महोदय श्री शक्ति सिंह व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना डिडौली के पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त इन्जमामूल हक पुत्र शहीदुल हक निवासी ग्राम चौधरपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता

1. इन्जमामूल हक पुत्र शहीदुल हक निवासी ग्राम चौधरपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

1- उ0नि0 श्री सुधीर तोमर थाना डिडौली अमरोहा

2- कां0 1293 मोहित कुमार थाना डिडौली अमरोहा